उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग

(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक ..../रा0

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड,
डोरंडा, राँची।

हजारीबाग, दिनांक ..../2022

विषय :- **हजारीबाग जिला का बरही अंचल अन्तर्गत मौजा–खोड़ाहार में JUSNL का 132/33 KV ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण के लिये वन भूमि अपयोजन हेतु क्षतिपूरक वनरोपण के प्रयोजनार्थ पदमा अंचल का मौजा–अडार, थाना संख्या–32, खाता संख्या–104, प्लॉट संख्या–2013, रकवा–20.00 एकड़ गैरमजरूआ खास किस्म जंगल भूमि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पक्ष में अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में।**

आदेश – स्वीकृत

अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही हजारीबाग के पत्रांक 1677/सा0 दिनांक 25.11.2020 द्वारा हजारीबाग जिला का बरही अंचल अन्तर्गत मौजा–खोड़ाहार में JUSNL का 132/33 KV ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण के लिये वन भूमि अपयोजन हेतु क्षतिपूरक वनरोपण के प्रयोजनार्थ पदमा अंचल अन्तर्गत क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को निःशुल्क भूमि हस्तान्तरण अभिलेख संख्या–01/2020–21 उपलब्ध कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

अंचल	मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
पदमा	अडार	32	104	2013	20.00	गैरमजरूआ खास किस्म जंगल

शर्ते

1. भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् यदि उपायुक्त को पुनः अनुपयोजित भूमि की आवश्यकता होती है तो यथास्थिति संबंधित विभाग से भूमि वापस लिया जा सकेगा
2. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तान्तरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा 12 माह में कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी।
3. इस भूमि को किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, कम्पनी, सोसाईटी, सहकारी संस्था, ट्रस्ट अन्य विभाग या अन्य किसी को किसी भी प्रकार के उपयोग के लिए हस्तान्तरण (स्थायी अथवा अस्थायी), आवासीय, व्यावसायिक / औद्योगिक उपयोग अथवा किसी भी अन्य उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता है।
4. अन्य सभी शर्ते इस्टेट मैन्युल में निहित प्रावधानों एवं समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत् निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

ह0/–
उपायुक्त, हजारीबाग।

e-mail id – achazaribagh2010@gmail.com
ac-hazaribagh@jharkhandmail.gov.in

ज्ञापांक 6420/रा० हजारीबाग, दिनांक 17/12/2022

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, पदमा को मूल अभिलेख संख्या 01/2020-21 संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि Website में अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– अवर निबंधक, बरही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त भूमि को प्रतिबंधित सूची में दर्ज करने की कार्रवाई करेंगे।

प्रतिलिपि :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय प्रबंधक, झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड, संरचण प्रमण्डल, हजारीबाग को उनके पत्रांक 582 दिनांक 19.11.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त, हजारीबाग।

 e-mail id – achazaribagh2010@gmail.com
ac-hazaribagh@jharkhandmail.gov.in